प्रेस विज्ञप्ति

07.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझिकोड उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 06.11.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत मेसर्स थुचथ ज्वैलर्स और अन्य के विरुद्ध दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में 20.4 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में आरोपी व्यक्तियों की केरल और कर्नाटक स्थित विभिन्न अचल संपत्तियां शामिल हैं।

पीएमएलए, 2002 के तहत जाँच के दौरान यह पता चला है कि कोचीन के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में पंजीकृत मेसर्स अकम्प्लीश मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई, थुंचत ज्वैलर्स ने वर्ष 2012 में तिरूर में अपना व्यवसाय शुरू किया था। इसमें 15 निदेशक थे और एम जयचंद्रन प्रबंध निदेशक थे। मेसर्स थुंचत ज्वैलर्स ने विभिन्न मासिक निवेश योजनाएँ शुरू कीं और विभिन्न निवेशकों से निवेश एकत्र किए। कंपनी के प्रबंध निदेशक जयचंद्रन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर वर्ष 2017 के दौरान निवेश हड़प लिया और फरार हो गए। तदनुसार, निवेशकों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष लगभग 70 एफआईआर दर्ज कराईं।

जाँच के दौरान, पीएमएलए 2002 के तहत विभिन्न शिकायतकर्ताओं और आरोपियों के बयान दर्ज किए गए और मेसर्स एक्म्प्लिश मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दायर एफआईआर/चार्जशीट की जाँच की गई, जिससे पता चला कि आरोपियों ने विभिन्न निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है, जो इस मामले में अर्जित अपराध की आय (पीओसी) है। जाँच के दौरान यह पता चला कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से जयचंद्रन एम ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आम जनता से एकत्रित धन को अन्य कंपनियों में स्थानांतरित करने के लिए 1) मेसर्स थुंचत गोल्ड एलएलपी, 2) मेसर्स एक्म्प्लिश गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, 3) थुंचत टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, और 4) मेसर्स थुचत चिट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी और कंपनियाँ बनाईं। पीओसी का उपयोग आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियाँ खरीदने में किया गया।

आगे की जाँच जारी है।